<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 89/2022

1 रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा व जिला झुन्झुनू राज.। हाल मण्डावा

अपीलांट

बनाम

1 लेखराम पुत्र रामकुमार उम्र 60 साल जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू राज. हाल मण्डावा
2 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नूआ जरिये प्रबंधक नुआ जिला झुन्झुनू।
3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू । हाल मण्डावा

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू प्रकरण बउनवानी लेखराम बनाम रामनिवास वगै. प्रार्थना पत्र संख्या 82/2016 आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट निर्णय दिनांक 20.06.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भगत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमरपाल भीमसरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 5.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 82/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट मंगवाई थी जो कि रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर उपस्थित एवं प्रचलित रास्ते को दर्शित ना करते हुये अपीलान्ट के खेत में से रास्ता अंकित कर गलत रिपोर्ट दिनांक 10.02.2022 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिस पर दिनांक 18.02.2022 को पत्रावली वास्ते एतराज/बहस मौका रिपोर्ट हेतु नियत की गई एवं दिनांक 22.03.2022 को अपीलान्ट ने अपनी एतराज रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि पटवार हल्का भारू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व संलग्न नक्शा गलत होने के कारण अस्वीकार है। पटवार हल्का भारू के आवेदक लेखराम के बताये अनुसार रिपोर्ट व नक्शा प्रस्तुत किया गया है। मौका व नक्शा रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है अनावेदक रामनिवास/अपीलान्ट को बिना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सूचित किये बनाकर दिया गया है मौके पर खसरा नम्बर 152 खाली बताया गया है जबकि वास्तव में मौके पर रामनिवास द्वारा काश्त किया हुआ है। खसरा नम्बर 152 व 153 का नाप भी पटवार हल्का द्वारा सही नहीं बताया गया है। उक्त ऐजराज के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और पत्रावली की आदेशिकाएं सील मोहर के आधार पर चलती रही तथा दिनांक 08.06.2022 को पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट तहसीलदार पर एतराज बहस सुनी गई लिखा गया है एवं मिसल वास्ते आदेश दिनांक 20.06.2022 नियत की गई है। जिसका स्पष्ट आशय यह है कि एतराज रिपोर्ट पर विचारण न्यायालय पर अपना विवेक जाहिर करना था ना कि पत्रावली का ही निर्णय करना था। दिनांक 20.06.2022 को अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता एतराज बहस में बैठे रहे जिन्हें विचारण न्यायालय में उपस्थित सिगेदार ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.06.2022 बता दी उसके उपरान्त दिनांक 05.07.2022 बता दी एंव इस विश्वास पर अपीलान्ट बैठा रहा परन्तु विचारण न्यायालय के सिगेदार द्वारा बेईमानी के आशय से जानबुझकर अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी बताई थी जबकि मूल स्थिति यह थी कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2022 को प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया था। इसलिए उक्त दिवस दिनांक 05.07.2022 को ही अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष नकल का आवेदन प्रस्तुत किया तब उसे समस्त स्थितियों की जानकारी हुई। वादग्रस्त आराजियात के दक्षिणी दिशा में झुन्झुनू से मण्डावा जाने वाली आम पक्की सड़क 30 फींट चौड़ी है जहां से यदि रेस्पोडेन्ट रास्ता लेता है तो उसके लिये सुगमता व सहजता रहती है जबकि अपीलान्ट के खेत में से रास्ता लेता है तो वह कस्बे रास्ते से जुड़ता है जबकि सड़क से जुड़ने पर उसके लिये सरलता और नजदीकी रहती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.06.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब देही तलब किया गया। अनावेदक संख्या 1 द्वारा जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब के अनुसार आवेदक के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता दक्षिण दिशा में ढिगाल मंडावा जाने वाली सड़क के पास से मौजूद है तो ऐसी सूरत में अनावेदक की भूमि खसरा नम्बर 152 में से रास्ता दिये जाने से अनावेदक के अधिकारों पर विपरित असर पड़ेगा तथा अनावेदक संख्या 1 के साथ अन्याय होगा, आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज किय जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार झुन्झुनू से प्राप्त अद्यतन मौका रिपोर्ट दिनांक 11.02.2022 के अनुसार मुताबिक रिकार्ड खसरा नम्बर 152 रकबा 0.47 हैक्टेयर रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति जाट के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 153 रकबा 0.63 हैक्टेयर लेखराम पुत्र रामकुमार जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 152 व 153 दोनों मौके पर खाली है। खसरा नम्बर 152 की उतरी सीमा के साथ गैर मुमकिन रास्ता गुजरता है जो चन्द्रपुरा गांव से जोड़ता है जिसका खसरा नम्बर 148 एवं 151 है। खसरा नम्बर 152, 153, 154 में मौके पर कोई रास्ता नहीं गुजरता है। तीनों खसरा नम्बरों के मध्य से एक पगडंडी गुजरती है। खसरा नम्बर 153 में पहुचनें हेतु 152 की पूर्वी सीमा के साथ साथ रास्ता चाहा गया है, जिसकी लम्बाई 48 मीटर है एवं खसरा नम्बर 154 से होकर 90 मीटर बनती है। निकटतम दूरी के अनुसार खसरा नम्बर 152 में से रास्ता दिया जाना बताते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की है। आवेदक की ग्राम जवाहरपुरा पटवार मंडल भारू के खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 105 रकबा 1.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.6300 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है तथा खसरा नम्बर 101, 102, 103, 150, 152 कुल किता 5 कुल रकबा 2.4000 हैक्टेयर भूमि अनावेदक संख्या 1 रामनिवास पुत्र रामकुमार के नाम दर्ज रिकार्ड है। आवेदक को जोत तक पहुंचने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रस्तावित भूमि की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर की दोगुनी राशि के भुगतान की शर्त पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 स्वीकार कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट मंगवाई थी जो कि प्रचलित रास्ते को दर्शित ना करते हुये अपीलान्ट के खेत में से रास्ता अंकित कर रिपोर्ट दिनांक 10.02.2022 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जिस पर दिनांक 18.02.2022 को पत्रावली वास्ते एतराज/बहस मौका रिपोर्ट हेतु नियत की गई एवं दिनांक 22.03.2022 को अपीलान्ट ने अपनी एतराज रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि पटवार हल्का भारू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व संलग्न नक्शा गलत होने के कारण अस्वीकार है। मौका व नक्शा रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है अनावेदक रामनिवास/अपीलान्ट को बिना सूचित किये बनाया गया है खसरा नम्बर 152 व 153 का नाप भी पटवार हल्का द्वारा सही नहीं बताया गया है। दिनांक 08.06.2022 को पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट तहसीलदार पर एतराज बहस सुनी गई लिखा गया है एवं मिसल वास्ते आदेश दिनांक 20.06.2022 नियत की गई है। विचारण न्यायालय ने एतराज पर निर्णय पारित किये बिना गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर